उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

संख्या-113/2020/1060/41-2020-14 (बजट)/2019

लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इण्टरप्रटेशन सेन्टर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्ड स्केपिंग एवं मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की प्रतिमा व अन्य मूलभूत पर्यटन सुविधाओं की प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण/क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 100.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश सं0- 279/2019/2191/41-2019-14(बजट)/2019 दिनांक 17.12.2020 द्वारा जिलाधिकारी अयोध्या के निर्वतन पर रखने का आदेश निर्गत किया गया है।

2. जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी गयी रू0 100.00 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किया जाना सम्भव न होने के कारण उक्त धनराशि भूमि अधियाप्ति अधिकारी, अयोध्या के लेखा शीर्षक-8443-00-117-00-00 सिविल डिपॉज़िट वर्क डन फॉर पब्लिक बॉडीज में जमा कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- ई0-7-351/दस/2020 दिनांक 20 मार्च, 2020, द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-113/2020/1060(1)/41-2020-14 (बजट)/2019 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-6910/एसएस/सीओएमपी.अयोध्या देव (3)/136 दिनांक 14 मार्च, 2020 के अनुक्रम में।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या को उनके पत्र संख्या-1078/श्री राम मूर्ति-अ0प0वि0/2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 के अनुक्रम में।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, अयोध्या।
7- निदेशक, वित्तीय साख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या।
11- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in